झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

<u>डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–282 वर्ष 2017</u>

डोरंडा बालिका मध्य विद्यालय (डोरंडा बंगाली बालिका विद्यालय सोसायटी की एक इकाई,एक भाषाई अल्पसंख्यक संगठन), डोरंडा, रांची, द्वारा अपने सचिव, बीरेंद्र नाथ महतो, पे0 स्वर्गीय मोतीलाल महाता, निवासी–108 मृणलिमी अपार्टमेंट, साउथ ऑफिस पारा, डाकघर एवं थाना–डोरंडा, जिला–रांची ....

याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य।
2. सचिव, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–रांची
3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–रांची
4. जिला शिक्षा अधीक्षक, रांची, डाकघर–जी0पी0ओ0, थाना–कोतवाली, जिला–रांची
5. क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, रांची, डाकघर–जी0पी0ओ0, थाना–कोतवाली
6. मनीषा माजी, पे0–श्री डी0जी0 माजी, निवासी–302, अनिलक्ष्मी अपार्टमेंट, नॉर्थ ऑफिस पारा, डाकघर एवं थाना–डोरंडा, जिला–रांची
7. के0 मेरूना, पे0–श्री बी0 कर्मकार, निवासी–क्वार्टर सं0–एफ–81, श्यामली कॉलोनी, डाकघर एवं थाना–डोरंडा, जिला–रांची

.... उत्तरदातागण

कोरम : **<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चंद्रशेखर</u>**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– सुश्री निवेदिता कुंडू, अधिवक्ता

उत्तरदाता–राज्य के लिए :– श्री रौनक सहाय, एस0सी0 (खान) के जे0सी0

02 / 06.03.2017 प्रतिवादी सं0 6 और 7 के वेतन निर्धारण विवरण को मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान में अनुमोदित करने के लिए निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को एक निर्देश देने की मांग करते हुए, वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

2. याचिकाकर्त्ता एक सोसायटी है जो डोरंडा बंगाली बालिका विद्यालय चलाता है, जो एक भाषाई अल्पसंख्यक विद्यालय है। यह एक सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय है।

3. याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 25.6.2014 के कार्यालय आदेश का हवाला देते हुए कहा कि जिला शिक्षा अधीक्षक, रांची ने प्रतिवादी सं0 6 और 7 की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, हालांकि, निदेशक–प्रतिवादी सं0–3 द्वारा प्रतिवादी सं0–6 और 7 का वेतन निर्धारण प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

4. जाहिर है, नियुक्त व्यक्ति, प्रतिवादी सं0–6 और 7 इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्त्ता नहीं है। दिनांक 25.6.2014 के पत्र के खण्ड 4 से खुलासा होता है कि निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के अनुमोदन पर ही प्रतिवादी सं0 6 और 7 को वेतन का भुगतान किया जाएगा। जाहिर है, वेतन निर्धारण के गैर अनुमोदन के कारण, प्रतिवादी सं0 6 और 7, व्यथित व्यक्ति होंगे, हालांकि, वे इस न्यायालय के समक्ष नहीं आए हैं।

5. उपरोक्त तथ्यों में, याचिकाकर्त्ता के द्वारा दायर रिट याचिका पोषणीय नहीं है और तद्नुसार, इसे खारिज कर दिया जाता है।

(श्री चंद्रशेखर, न्याया0)